

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समर्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दि0नि0/52/2019-20/ 1247-75

लखनऊ: दिनांक: 03.06.2019

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु शहरी आशा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिह्नित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण कराया जा रहा है तथा अधिकांश शहरों/कस्बों में प्रशिक्षणोपरान्त उनके द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इन शहरी आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बरितयों में रहने वाली जनता को स्वस्थ सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति आर0ओ0पी0 के अनुसार शहरी आशा द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,



(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृष्ठांक- प0क0-13/सं0नि0न0/श0आ0-दि0नि0/52/2019-20/

तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 5- समर्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- समर्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 7- महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 9- समर्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 10- समर्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेंट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 11- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।



(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक

प्रेषक,

महानिदेशक,
परिवार कल्याण महानिदेशालय,
उत्तर प्रदेश लखनऊ।

सेवा में,

समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांक: प0क0-13/संनिन0/श0आ0-दि0नि�0/52/2019-20/

लखनऊ: दिनांक: 03.06. 2019

विषय:- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वर्ष 2019-20 हेतु शहरी आशा के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।
महोदय,

उपर्युक्त विषयक राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण कराया जा रहा है तथा अधिकांश शहरों/कस्बों में प्रशिक्षणोपरान्त उनके द्वारा कार्य करना प्रारम्भ कर दिया गया है। इन शहरी आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन बरितयों में रहने वाली जनता को स्वरक्ष्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

अतः राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019-20 में स्वीकृति आर0ओ0पी0 के अनुसार शहरी आशा द्वारा संचालित विभिन्न गतिविधियों की विस्तृत दिशा-निर्देश तैयार कर पत्र के साथ संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया जा रहा है।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार।

भवदीया,

(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक

पृष्ठां संख्या- प0क0-13/संनिन0/श0आ0-दि0नि�0/52/2019-20/1322-333 तददिनांक-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- प्रमुख सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, स्वास्थ्य भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3- मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 4- अपर मिशन निदेशक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 5- समस्त जिलाधिकारी/जिलाध्यक्ष, जिला कार्यकारी समिति, उत्तर प्रदेश।
- 6- समस्त मण्डलीय अपर निदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तर प्रदेश।
- 7- महाप्रबन्धक, कम्युनिटी प्रोसेस, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 8- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन, एस0पी0एम0यू0 विधान सभा मार्ग, लखनऊ।
- 9- समस्त जनपदीय नोडल अधिकारी, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 10- समस्त मण्डलीय अरबन हेल्थकन्सल्टेट, एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।
- 11- जिला कार्यक्रम प्रबन्धक/जनपदीय अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर एन.यू.एच.एम., उत्तर प्रदेश।

(डा० नीना गुप्ता)
महानिदेशक

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत वर्ष 2019–20 हेतु शहरी आशा योजना के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश

राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत चिन्हित शहरों/कस्बों में शहरी आशाओं के चयन एवं प्रशिक्षण किया जा रहा है। इन आशाओं द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों की भाँति शहरों/कस्बों विशेषकर मलिन वस्तियों में रहने वाली जनता को स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान किये जाने में विशेष सहयोग प्रदान किया जा रहा है।

शहरी आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा–निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं—

1. शहरी आशा की भूमिका एवं उत्तरदायित्व

आशा, समुदाय को स्वास्थ्य सेवा प्राप्त कराने में सहायता प्रदान करने के साथ ही शहरी आबादी के वंचित वर्गों विशेषतयः महिलाओं एवं बच्चों को स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी प्रदान करेगी तथा समुदाय एवं स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सम्पर्क सूत्र का कार्य करेगी। इसके अतिरिक्त शहरी आशा निम्नलिखित कार्य संपादित करेगी—

- गर्भावस्था के दौरान प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव तैयारी, सुरक्षित प्रसव का महत्व, स्तनपान, सम्पूरक आहार, टीकाकरण के सम्बन्ध में महिलाओं को परामर्श प्रदान करना।
- गर्भवती महिला अथवा बच्चे को उपचार की आवश्यकता पड़ने पर एक पूर्व निर्धारित नजदीकी स्वास्थ्य केन्द्र जैसे – नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/प्रथम संदर्भन इकाई पर साथ लेकर जाना अथवा संदर्भन के लिए प्रबन्ध करना।
- सरकार द्वारा शहरी स्वास्थ्य इकाईयों पर उपलब्ध करायी जा रही स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी उपलब्ध कराना एवं प्राप्त करने में सहायता प्रदान करना।
- सरकार द्वारा प्रदान की जा रही स्वास्थ्य सामग्री जैसे— ओ0आर0एस0, आयरन की गोलियों, कलोरोविवन, डी.डी. किट, गर्भनिरोधक गोलियों तथा कण्डोम, आक्रिमिक गर्भनिरोधक गोली आदि के लिए डिपो होल्डर के रूप में कार्य करना।
- प्रजनन तंत्र/यौन जनित संक्रमण के सम्बन्ध में समुचित जानकारी प्रदान करना।
- आशा द्वारा ए.एन.एम. के साथ मिलकर अपने कार्यक्षेत्र में महिला आरोग्य समितियों के गठन एवं विकास में सहयोग करना एवं महिला आरोग्य समितियों के सहयोग से स्वास्थ्य योजना तैयार करना।
- महिला आरोग्य समिति की मासिक बैठक आयोजित कराना।
- सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत घरों में शौचालय निर्माण के लिए जागरूकता उत्पन्न करना।
- चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवाओं के सम्बन्ध में समुदाय को जानकारी प्रदान करना तथा जागरूकता उत्पन्न करना।
- अपने कार्यक्षेत्र से सम्बन्धित घरों में जन्म एवं मृत्यु का पंजीकरण कराने हेतु परिवार को प्रेरित करना, नगरीय क्षेत्र के जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण इकाईयों को सूचित करना तथा समुदाय में फैलने वाले अन्य रोगों की सूचना नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उपलब्ध कराना।
- विभिन्न राष्ट्रीय कार्यक्रमों में दिशा–निर्देशों के अनुसार कार्य संपादित करना।
- पुनरक्षित राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम के अंतर्गत डॉट्स प्रदाता के रूप में कार्य करना।



- अन्धता निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत मोतियाबिन्द से ग्रसित व्यक्तियों को चिन्हित करना तथा चिकित्सालय/कैम्प में संदर्भित करना।
- सामान्य रोगों, यथा—दस्त, बुखार, हल्की चोटों के लिए प्राथमिक चिकित्सा प्रदान कर आवश्कतानुसार संदर्भित करना।
- अल्पसेवित, असेवित, स्वास्थ्य सुविधाओं का उपभोग न कर पाने में सक्षम परिवारों पर विशेष ध्यान देना।
- उपरोक्त के अतिरिक्त शहरी आशा के सम्बन्ध में केन्द्र अथवा राज्य स्तर से निर्धारित अन्य कार्यों का संपादन करना।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका को अद्युनांत करना।
- प्रशिक्षण पश्चात (6–7 मॉड्यूल प्रथम चरण के पश्चात) गृह आधारित नवजात शिशु देखभाल (HBNC) कार्यक्रम में आशा द्वारा जन्म से 42 दिन तक नवजात शिशु एवं माँ की 6 से 7 बार गृह भ्रमण के दौरान देखभाल करना।

आशा कार्यक्रम को सुचारू एवं प्रभावी रूप से चलाने हेतु शहरी आशा योजना के अंतर्गत संचालित विभिन्न गतिविधियों हेतु दिशा—निर्देश निम्नानुसार प्रेषित किये जा रहे हैं—

2. शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि

शहरी आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर विभिन्न अनुमोदित गतिविधियों में प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाना है। प्रतिपूर्ति राशियों का ससमय भुगतान किये जाने से आशाओं के उत्साह, मनोबल एवं कार्य क्षमता में बढ़ोत्तरी होगी, जिससे वह अपने कार्यों को और सक्रिय रूप से कर पाने में सक्षम हो पायेंगी तथा समुदाय को गुणवत्तापरक सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। इन गतिविधियों को योजनाबद्ध तरीके से कार्यान्वित किये जाने एवं अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर दिया गया है। यह एक महत्वपूर्ण अभिलेख है, जिसमें शहरी आशा अपने क्षेत्र में किये जाने वाले सभी स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियों एवं सेवाओं का उल्लेख करती है। जिसकी सहायता से शहरी आशा के कार्य के सत्यापन में मदद मिलती है एवं शहरी आशा को समय से प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जाता है।

FMR Code U.3.1.1.1 Incentive for routine activity- भारत सरकार के निर्देशों के क्रम में शहरी आशाओं को उनके द्वारा किये जाने वाले नियमित गतिविधियों के लिए प्रतिपूर्ति राशि के रूप में FMR Code U.3.1.1.1 में ₹0 2000/- प्रतिमाह दिये जाने का प्राविधान किया गया है। इन गतिविधियों का विवरण एवं गतिविधियों के लिए दी जाने वाली धनराशि निम्न तालिका में दी गयी है—

एफ.एम. आर. कोड	क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (₹0 में)
FMR Code U.3.1.1.1	1	शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर	200
	2	महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर	150
	3	शहरी आशाओं को सी.एच.सी./पी.एच.सी. पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु यात्रा व्यय	150
	4	वर्ष के आरम्भ में एवं 6 माह के पश्चात परिवारों की सूची तैयार करने पर तथा मासिक रूप से अद्यतन करने पर	300



एफ.एम. आर. कोड	क्र.सं.	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रु0 में)
	5	शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर का अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर	300
	6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यू लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
	7	ANC लाभार्थियों का लिस्ट बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
	8	योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर	300
नियमित गतिविधियों के लिए कुल प्रतिपूर्ति राशि			2000

*उपरोक्त गतिविधियों में से जब तक महिला आरोग्य समिति का गठन नहीं किया जाता है, तब तक उक्त मद में अधिकतम धनराशि कुल रु0 1850/- प्रतिमाह ही अनुमन्य होगी।

- शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने एवं उपस्थित रहने पर— शहरी आशा द्वारा शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस के एक दिन पूर्व समस्त लाभार्थियों को शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में प्रतिभाग किये जाने हेतु सूचित करेगी। शहरी आशा को अपने क्षेत्र में आयोजित शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस में लाभार्थियों को प्रेरित करने, स्वयं उपस्थित रहने हेतु रु0 200/- प्रतिमाह प्रावधानित किया गया है।
- महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन, प्रतिभाग एवं अभिलेखीकरण करने पर — शहरी आशा द्वारा प्रतिमाह अपने क्षेत्र में गठित महिला आरोग्य समिति की बैठक का आयोजन किया जाएगा एवं सदस्य सचिव के रूप में समस्त कार्यविधि को भी अभिलेखीकृत किया जायेगा। महिला आरोग्य समिति के सम्बंध में परिवार कल्याण महानिदेशालय के पत्र संख्या प0क0-13/संनिन0न0/म0आ0स0 / 128 / 2018-19 / 2966-75 लखनऊ दिनांक 26 सितम्बर 2018 के माध्यम से विस्तृत दिशा निर्देश प्रेषित किये गये हैं। उक्त बैठक के अंतर्गत आने वाली समस्त शहरी आशाओं को बैठक में सहयोग व प्रतिभाग करने पर रु0 150/- दिया जायेगा।
- शहरी आशाओं को नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर मासिक बैठक में भाग लेने हेतु— शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर किया जाता है। इस बैठक में प्रतिभाग करने पर आशाओं को प्रतिमाह रु0 150/- प्रतिपूर्ति राशि के रूप में प्रदान किये जायेंगे।
- कार्य क्षेत्र में सर्वे को अद्यतन करना — उक्त मद के अंतर्गत शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में प्रत्येक माह सर्वे अद्यतन करना होगा। कार्यक्षेत्र में यदि नये परिवार जुड़े हैं अथवा वर्तमान परिवारों में जन्म/मृत्यु/विवाह हुआ हो तो इनका मासिक आधार पर अंकन किया जाना होगा। इस कार्य हेतु शहरी आशा को रु0 300/- प्रति माह प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। आशा द्वारा प्रत्येक 6 माह में अपने कार्यक्षेत्र के समस्त परिवारों का क्षेत्र भ्रमण करके रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में वार्ड सर्वे तालिका में सूचनाएं अंकित/अद्यतन की जानी होंगी।
- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर को अद्यतन करने व जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण हेतु सहायता करने पर— शहरी आशा को अपने सूचकांक रजिस्टर को मासिक आधार पर अद्यतन रखना होगा



तथा अपने कार्यक्षेत्र में समस्त जन्मों एवं मृत्युओं के पंजीकरण में सहयोग प्रदान करना होगा। इस कार्य हेतु आशा को ₹० 300/- प्रति माह प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है।

- **टीकाकरण हेतु ड्यू लिस्ट बनाना** एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— रजिस्टर में सम्बन्धित भाग में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाओं हेतु अपेक्षित लाभार्थियों (टीकाकरण हेतु बच्चों, गर्भवती महिलाओं) की सूची तैयार की जानी है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह ₹० 300/- प्रतिपूर्ति राशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सही एवं पूर्ण रूप से ड्यू लिस्ट बनाने पर ड्राप आउट एवं लेफ्ट आउट बच्चों, गर्भवती महिलाओं के चिन्हीकरण में मदद मिलेगी जिससे उनको समय—समय पर सेवाएं प्रदान की जा सकेंगी। ड्यू लिस्ट बनाते समय अल्पसेवित परिवारों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।
- **ANC लाभार्थियों की सूची बनाना** एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का मुख्य उद्देश्य मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लाना है। शहरी आशाओं से अपेक्षा की जाती है कि सभी गर्भवती महिलाओं की जल्द से जल्द पहचान कर पंजीकरण तथा चूनतम ३ प्रसव पूर्व जाँचें करायेगी एवं संस्थागत प्रसव हेतु प्रेरित करेंगी जिससे क्षेत्र की मातृ मृत्यु दर एवं शिशु मृत्यु दर में कमी लायी जा सके। रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में गर्भवती महिला की प्रसव पूर्व देखभाल, प्रसव सेवा एवं टीकाकरण सम्बन्धी विवरणों को अंकित किया जाना है। इस हेतु शहरी आशाओं को प्रतिमाह ₹० 300/- प्रोत्साहन धनराशि का प्राविधान किया गया है। शहरी आशाओं द्वारा सभी गर्भवती महिलाओं की प्रसव योजना तैयार की जानी है। इसके अंतर्गत शहरी आशा द्वारा गर्भवती महिलाओं से संपर्क कर उनका पंजीकरण कराना, उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रसव स्थान का चिन्हीकरण, परिवहन की व्यवस्था, प्रसव के समय सहयोग करने वाले परिवार के सदस्यों का चिन्हीकरण का विवरण शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के सम्बन्धित भाग में अंकित किया जाना है।
- **योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाना** एवं मासिक आधार पर अद्यतन करने पर— शहरी आशा, अपने शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में जो परिवार नियोजन के लिए योग्य दम्पत्तियों के विवरण से सम्बन्धित है, क्षेत्र के रहने वाले समस्त योग्य दम्पत्तियों की सूची बनाकर अद्यतन करेगी। इस कार्य हेतु ₹० 300/- प्रतिमाह का प्राविधान किया गया है।

नोट— यदि किसी कारण से आशा उपरोक्त वर्णित गतिविधियों में से किसी एक या अधिक गतिविधि को पूर्ण नहीं कर पाती तो शेष गतिविधियों में शहरी आशा को भुगतान किया जायेगा। उदाहरण— यदि किसी कारणवश शहरी आशा अपने क्षेत्र में आयोजित होने वाली शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मे प्रतिभाग नहीं करती है एवं शहरी आशा द्वारा अन्य गतिविधियों मे प्रतिभाग किया गया हैं तो उस दशा में शहरी स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस मे प्रतिभाग नहीं करने हेतु अनुमोदित राशि ₹० 200/- का भुगतान नहीं किया जायेगा।

FMR Code U.3.1.1.2- other Incentive to ASHA Janani Surakha Yojana- इस मद के अन्तर्गत जननी सुरक्षा योजना के अन्तर्गत अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि हेतु धनराशि स्वीकृत की गयी है, जिसका मातृ स्वास्थ्य अनुभाग से निर्गत निर्देशों के अनुसार भुगतान किया जायेगा।

शहरी आशा द्वारा उपरोक्त गतिविधियों के लिए दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों में भी आशा हेतु कार्य के आधार पर प्रतिपूर्ति राशियों का प्राविधान हैं। जिसके विस्तृत दिशा—निर्देश सम्बन्धित अनुभाग द्वारा प्रेषित किये जायेंगे।



3. शहरी आशा को प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु दिशा—निर्देश

ग्रामीण क्षेत्रों की भौति शहरी क्षेत्रों में भी संचालित विभिन्न गतिविधियों जैसे जे०एस०वाई०, बाल स्वास्थ्य, नियमित टीकाकरण, परिवार कल्याण सेवाएं एवं राष्ट्रीय कार्यक्रम इत्यादि में राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत लाभार्थियों एवं आशा को प्रतिपूर्ति धनराशि राशि दी जानी है। अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के सम्बंध में निम्न व्यवस्था की गयी है—

- जिन आशाओं ने ८ दिवसीय प्रारम्भिक प्रशिक्षण प्राप्त कर लिया हो उन्हीं आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि देय होगी। शहरी आशाओं द्वारा अपने क्षेत्र में किये गये कार्यों के लिये ही भुगतान किया जायेगा।
- राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत प्रत्येक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एक बैक खाता खोला जा रहा है। अरबन आशा के नियमित गतिविधियों एवं जननी सुरक्षा कार्यक्रम हेतु प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर एन०य०एच०एम० के अन्तर्गत खोले गये बैंक खाता से किया जायेगा। जिन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर अभी बैंक खाता नहीं खोला गया है वहाँ बैंक खाता खोले जाने तक पूर्व की भौति प्रतिपूर्ति राशि का भुगतान किया जायेगा।
- शहरी आशा को एन०य०एच०एम० के अन्तर्गत दी जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि के अतिरिक्त नियमित टीकाकरण, पल्स पोलियो, परिवार कल्याण, राष्ट्रीय कार्यक्रमों, राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम एवं अन्य कार्यक्रमों हेतु आशाओं को दी जाने वाली धनराशि का भुगतान सम्बंधित कार्यक्रम के टीयर-२ खाते से किया जायेगा।
- एन०य०एच०एम० फ्लैक्सीपूल, आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल तथा अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत अनुमोदित आशा प्रतिपूर्ति राशि के अलग अलग वाउचर बनाये जायेंगे।
- शहरी आशा द्वारा विगत माह की २१ तारीख से वर्तमान माह की २० तारीख तक की गयी समस्त गतिविधियों का विवरण आशा पेमेन्ट वाउचर में अंकित कर माह की २५ तारीख तक क्षेत्रीय ए.एन.एम. को उपलब्ध करा दिया जाना चाहिए, साथ ही ए.एन.एम. का भी यह दायित्व होगा कि माह कि २५ तारीख तक अपने क्षेत्र की समस्त आशाओं से वाउचर एकत्र कर लें।
- ए.एन.एम. द्वारा माह की ३० तारीख तक वाउचर में अंकित गतिविधियों का सत्यापन कर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी के पास जमा करा दिये जायेंगे। ए.एन.एम. द्वारा अपने क्षेत्रीय भ्रमण के दौरान शहरी आशा द्वारा किये गये कार्यों का नियमित सत्यापन कर शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में अंकित कर देना चाहिए, इससे माह के अन्त में वाउचर के सत्यापन में आसानी होगी। यदि ए.एन.एम. अपने सम्बंधित शहरी आशाओं द्वारा किये गये कार्यों का सत्यापन माह में होने वाली मासिक बैठक से पूर्व ही कर लेती है, तो नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाली मासिक बैठक में शहरी आशाओं के क्षमता निर्माण हेतु व अन्य विषयों पर चर्चा करने के लिए अधिक समय मिल सकेगा।
- एन०य०एच०एम० के अन्तर्गत जनपद में तैनात सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी०ई०ओ० कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा यह सुनिश्चित किया जाय कि प्रत्येक माह सभी शहरी आशाओं के वाउचर ससमय प्राप्त कर लिये जाये तथा परीक्षण करते हुये यह सुनिश्चित किया जाय कि वाउचर सही और पूर्ण भरे हों।
- एन०य०एच०एम० के अन्तर्गत जनपद में तैनात सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी०ई०ओ० कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट प्रत्येक आशा का एन०य०एच०एम० फ्लैक्सीपूल,



आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत किये गये कार्यों के अनुसार भुगतान हेतु धनराशि के अलग अलग वाउचर के अनुसार अलग अलग सूची तैयार करें। डी०ई०ओ० कम एकाउन्टेंट/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट द्वारा तैयार सूची को प्रभारी चिकित्साधिकारी /अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/ नोडल अधिकारी एन०य०एच०एम० द्वारा अगले माह की 2 तारीख तक परीक्षण कर सत्यापित किया जायेगा।

- एकाउन्ट कम डी०ई०ओ०/डाटा कम एकाउन्ट असिस्टेंट अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु एन०य०एच०एम० फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान की सूची को प्रभारी चिकित्साधिकारी/जनपदीय नोडल अधिकारी एन०य०एच०एम० तथा आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों से होने वाले भुगतान की सूची को ए०सी०एम०ओ० आर०सी०एच०/ कार्यक्रम अधिकारी के समक्ष जमा करें।
- एन०य०एच०एम० फ्लैक्सीपूल से होने वाले भुगतान को प्रत्येक माह की 5 तारीख तक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर संचालित एन०य०एच०एम० के खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी। जिन नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में अभी तक खाते नहीं खुले हैं वहाँ पर खाता खोले जाने तक पूर्व की भौति जनपद मुख्यालय स्तर पर संचालित एन०य०एच०एम० के खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों के अन्तर्गत विभिन्न मदों में आशाओं को दी जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि को सम्बंधित नोडल/कार्यक्रम अधिकारी द्वारा जनपद स्तर पर संचालित टीयर-2 खाते से सीधे आशाओं के बैंक खाते में स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य शहरों/कस्बों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों पर आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों से अरबन आशाओं को किये जाने वाले प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान की सूची, सम्बन्धित ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, जिस इकाई से उस क्षेत्र की ग्रामीण आशाओं का भुगतान किया जाता है, भुगतान हेतु प्रेषित की जायेगी। ब्लाक स्तरीय अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा आशाओं के बैंक खाते में धनराशि स्थानान्तरित करने की कार्यवाही की जायेगी।
- अरबन आशा के प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान के अतिरिक्त नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर होने वाले प्रसव के लाभार्थियों का भुगतान उपरोक्त व्यवस्था के अनुसार ही किया जायेगा।
- अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी०सी०ए०ए०/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी०ई०ओ० कम एकाउन्टेंट द्वारा समस्त वाउचर भुगतान के पश्चात् सुरक्षित रखे जायेंगे। वाउचरों का अंकन नियमित रूप से मास्टर आशा पेमेंट रजिस्टर में अंकित किया जायेगा (संलग्नक-2)।
- जिला मुख्यालय के अतिरिक्त अन्य शहरों/कस्बों में संचालित नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अन्तर्गत कार्यरत आशा को आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों के मद में भुगतान की संकलित सूचना ब्लाक स्तरीय सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/ब्लाक स्तरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अधीक्षक/प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा माह की 10 तारीख तक प्रपत्र 3 पर अरबन कोऑर्डिनेटर/ अरबन नोडल अधिकारी को उपलब्ध करा दी जाये।
- अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर द्वारा जनपद मुख्यालय पर एन०य०एच०एम० फ्लैक्सीपूल में होने वाले भुगतान की सूचना प्रपत्र 3 पर माह की 10 तारीख पर संकलित की जायेगी तथा माह की 12 तारीख तक समस्त भुगतान की संकलित सूचना (एन०य०एच०एम० फ्लैक्सीपूल तथा आर०सी०एच० फ्लैक्सीपूल एवं अन्य कार्यक्रमों से किये गये भुगतान) प्रपत्र 4 पर राज्य स्तर (राज्य कार्यक्रम



प्रबन्धन इकाई/परिवार कल्याण महानिदेशालय) को अवश्य उपलब्ध करा दी जाये (संलग्नक-3 व 4)।

- जिला स्तर पर भी आशा प्रतिपूर्ति भुगतान राशि के विवरण को कम्प्यूटर में सुरक्षित रखा जाये जिसमें नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के अनुरूप सम्बन्धित माह में आशाओं को भुगतान की गयी कुल प्रतिपूर्ति राशि का विस्तृत विवरण प्रपत्र-3 के अनुरूप अंकित की जाये।
- शहरी आशाओं को उनके द्वारा प्रस्तुत वाउचर के सापेक्ष उनके खाते में स्थानान्तरित की गयी धनराशि की सूचना प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के सूचनापट पर चर्चा करवा दी जाये।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर आशाओं को किये गये भुगतान राशि को मासिक आधार पर आशा डाटा बेस में अंकन किया जाये। यह ध्यान रखा जाना चाहिए कि उक्त अंकन में आशा को माह में प्राप्त होने वाली समस्त प्रतिपूर्ति राशियों को सम्मिलित किया जाये।
- भुगतान के उपरान्त सम्बन्धित विवरण "आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर" में DEO Cum Accountant/CCPM/DCAA द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा। साथ ही मास्टर रजिस्टर पेमेन्ट की Soft Copy कम्प्यूटर में Excel Sheet में भी बना ली जाये, जिससे अनुश्रवण में आसानी हो। निर्धारित वाउचर एवं प्रपत्रों के प्रारूप में किसी भी प्रकार का बदलाव न किया जाये, ऐसा करना वित्तीय अनियमितता की श्रेणी में आयेगा।
- नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के स्तर पर प्रभारी चिकित्साधिकारी मासिक आधार पर अच्छा कार्य कर रही आशाओं को प्रोत्साहित कर सकते हैं, जिससे अन्य आशाओं को भी प्रेरणा मिलेगी। इसके अतिरिक्त उन गतिविधियों/कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त हो सकेगी, जिसमें आशा द्वारा अपेक्षित सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा ऐसे कार्यों के सम्बन्ध में जानकारी एकत्रित की जायेगी एवं इन कारणों को दूर करने के उपाय किये जायेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ऐसी आशाओं के क्षमतावर्द्धन हेतु आशाओं की मासिक बैठक में चर्चा की जानी चाहिए।
- किसी भी परिस्थिति में आशाओं का भुगतान लंबित न रखा जाये। जनपद में आशा भुगतान हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी (NUHM) अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर, डी०सी०ए०ए०, सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर एवं एकाउन्टेंट कम डी०ई०ओ० द्वारा प्रपत्र भरने में आशा को मार्गदर्शन दिया जायेगा।
- शहरी आशा भुगतान अभिलेखों को ऑडिट एवं अन्य जाँच हेतु जनपदीय अरबन नोडल अधिकारी/अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी०सी०ए०ए०/सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/एकाउन्टेंट कम डी०ई०ओ० द्वारा सुरक्षित रखा जायेगा ताकि किसी भी समय किसी विभागीय अधिकारी द्वारा इन अभिलेखों का सत्यापन किया जा सके।
- आशा भुगतान के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार से अनियमितता की जाती है, तो सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाये तथा भुगतान की गयी धनराशि सम्बन्धित अधिकारी/कर्मचारी से वसूल कर ली जाये।



4. अनुश्रवण एव मूल्यांकन

- जिला स्तर के अधिकारी द्वारा नियमित रूप से नगरीय प्राथमिक/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर उपलब्ध आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है। राज्य स्तर के अधिकारियों द्वारा भी समय-समय पर अपने पर्यवेक्षकीय भ्रमण के दौरान "आशा मास्टर पैमेन्ट रजिस्टर" एवं आशा प्रतिपूर्ति राशि से सम्बन्धित वाउचर्स एवं प्रपत्रों का भौतिक सत्यापन किया जाना है।
- इसी प्रकार आशा मेन्टॉरिंग समूह के सदस्यों द्वारा भी अपने भ्रमण के दौरान आशा प्रतिपूर्ति राशि भुगतान की जानकारी प्राप्त की जानी चाहिए जिससे वे आशा मेन्टॉरिंग समूह की बैठक में सदस्यों को अवगत करा सकें।

5. शहरी आशा को ड्रग किट दिये जाने हेतु दिशा निर्देश-

प्रदेश की समस्त शहरी आशाओं को आरम्भिक उपचारात्मक देखभाल प्रदान करने हेतु प्राप्त प्रशिक्षण के अनुसार सामान्य रोग जैसे— दस्त, बुखार आदि के आरम्भिक प्रबन्धन परिवार नियोजन सामग्रियों के वितरण आदि के लिए ड्रग किट दी जानी है।

भारत सरकार द्वारा आशा ड्रग किट दिये जाने के सम्बन्ध में जारी मॉडल दिशा-निर्देशों के क्रम में निम्न औषधियों को शहरी आशाओं को दिये जाने का प्राविधान किया जा रहा है।

- शहरी आशा की दवा किट में रखी वस्तुओं की सूची

क्र.स.	दवा/सामग्री	1 माह के लिए अनुमानित आवश्यकता
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डीडीके किट	3
2	पैरासीटामाल टैबलेट	20
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां	400
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट	20
5	जिंक टेबलेट	50
6	ओआरएस के पैकेट	10
7	निश्चय किट	3
8	कण्डोम (3 का पैकेट)	30
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)	10
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली	10
11	साबुन	1
12	विसंक्रमित रूई (50 ग्राम)	1
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब	1
14	पटिट्यां 4 से.मी. X 4 मीटर	2

उपरोक्त तालिका में वर्णित सामग्रियों एवं उनकी मात्रा में स्थानीय आवश्यकताओं एवं सामग्री की उपलब्धता के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

- शहरी आशा ड्रग किट का उपयोग करने हेतु निर्देश— आशा ड्रग किट दिये जाने के समय यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि प्रत्येक आशा के पास हमेशा कम से कम एक माह का दवाओं का स्टॉक उपलब्ध रहे। दवाओं पर चिपके हुए लेबल अंग्रेजी भाषा में होते हैं। अतः प्रयास यह



होना चाहिए कि दवायें अलग—अलग रंग की थैलियों में उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि शहरी आशाओं को औषधि वितरण में किसी प्रकार की समस्या न उत्पन्न हो।

- आशा ड्रग किट की नियमित रिफिलिंग की जायेगी— शहरी आशाओं के ड्रग किट हेतु कोई भी धनराशि अलग से नहीं उपलब्ध नहीं करायी जा रही है। प्रारम्भ में दी गयी मात्रा के अनुसार अपने कार्यक्षेत्र में कार्यरत समस्त शहरी आशाओं की संख्या के आधार पर ए.एन.एम. समस्त सामग्री नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से प्राप्त करेगी। तत्पश्चात् अपने कार्यक्षेत्र की समस्त आशाओं को उपरोक्त सामग्री वितरित करेंगी।
- शहरी आशाओं के मासिक बैठक के दौरान आशायें अपनी शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर में उल्लेखित स्टॉक इन्ट्री के आधार पर सम्बन्धित ए.एन.एम. शहरी आशा को दवा/अन्य सामग्री उपयोग किये जाने की सूचना देगी। जिसे ए.एन.एम. द्वारा निम्न निर्धारित प्रपत्र पर संकलित किया जायेगा।

क्र.सं.	दवा / सामग्री	शहरी आशा 1 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा 2 द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	शहरी आशा द्वारा उपयोग की गयी मात्रा	क्षेत्र की सभी शहरी आशाओं द्वारा उपयोग की गयी कुल मात्रा
1	घर पर स्वच्छ प्रसव के लिए डी.डी.के. किट					
2	पैरासीटामॉल टैबलेट					
3	आयरन फॉलिक एसिड (एल) की गोलियां					
4	डाइसाइक्लोमाइन टेबलेट					
5	जिंक टेबलेट					
6	ओ.आर.एस. के पैकट					
7	निश्चय किट					
8	कण्डोम					
9	खाने की गर्भनिरोधक गोलियां (चक्रों में)					
10	आपातकालीन गर्भनिरोधक गोली					
11	साबुन					
12	विसंक्रमित रुई (50 ग्राम)					
13	पोविडाइन मलहम की ट्यूब					
14	पटिटयां 4 से.मी. x 4 मीटर					

- ए.एन.एम., प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के औषधि भण्डार से औषधि प्राप्त करेगी, तत्पश्चात् आशाओं को औषधि/अन्य सामग्री उपलब्ध कराएगी। उक्त दवा एवं

Sameer

सामग्री का स्टॉक एवं स्टॉक बुक नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के फार्मासिस्ट की निगरानी में रखा जायेगा।

- रिफिलिंग करते समय यह सुनिश्चित किया जाना आवश्यक होगा कि यदि पहले से ड्रग किट में कोई दवा Expiry Date के निकट हो या Expire हो गयी हो तो उन्हें तत्काल बदल दिया जाय तथा इस बात का ध्यान रखा जाय कि ड्रग किट में दी जाने वाली दवाओं की Expiry Date कम से कम 1 वर्ष बाद की हो। आशा, ड्रग किट का रिकार्ड शहरी स्वास्थ्य सूचकांक रजिस्टर के सम्बन्धित भाग में अंकित करेगी।
- आशा को ड्रग किट में प्रदान की जाने वाली दवाओं का विवरण पत्र के साथ संलग्न है, जिसके बारे में आशा मासिक बैठक में आशाओं को आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित किया जाये (संलग्नक-5)।

6. शहरी आशा मासिक बैठक

प्रदेश में स्वास्थ्य योजनाओं के गुणवत्तापरक क्रियान्वयन एवं शहरी आशाओं का नियमित सहयोगात्मक पर्यवेक्षण के उद्देश्य से नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र पर प्रतिमाह शहरी आशाओं की मासिक बैठकों का आयोजन किया जाना है। मासिक बैठकों में आशाओं के क्षमता वर्द्धन के साथ-साथ भारत सरकार एवं राज्य सरकार से प्राप्त नवीन दिशा-निर्देशों एवं नवीन कार्यक्रमों के बारे में आशाओं को विस्तृत जानकारी प्रदान की जानी है। बैठक की अध्यक्षता प्रभारी चिकित्साधिकारी द्वारा की जायेगी। प्रत्येक बैठक में सम्बन्धित क्षेत्र की ए.एन.एम. (जिन ए.एन.एम. के क्षेत्र में आशा कार्य कर रही हैं) द्वारा अवश्य प्रतिभाग किया जायेगा।

- **आयोजन स्थल-** शहरी आशा मासिक बैठक हेतु नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में आधारभूत सुविधा जैसे बैठने का स्थान, पेय जल की सुविधा, विद्युत सुविधा, क्रियाशील शौचालय आदि की व्यवस्था होना आवश्यक है। बैठक का पर्यवेक्षण एवं संचालन प्रभारी चिकित्सा अधिकारी द्वारा किया जाएगा। यदि किसी आयोजन स्थल में लॉजिस्टिक जैसे दरी, जग, गिलास आदि का अभाव है तो इस हेतु कार्यालय व्यय मद में उपलब्ध धनराशि का प्रयोग किया जा सकता है। बैठक में प्रभारी चिकित्साधिकारी के अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्तर पर नियुक्त स्वास्थ्य पर्यवेक्षक, शहरी स्वास्थ्य से सम्बन्धित जनपद स्तरीय अधिकारी के द्वारा प्रतिभाग किया जाना चाहिए।
- **शहरी आशा मासिक बैठक की माइक्रो प्लानिंग-** मासिक बैठकों का आयोजन प्रत्येक माह की 25 तारीख को किया जाएगा। यदि माह की 25 तारीख को अवकाश अथवा टीकाकरण दिवस है तो अगले कार्यदिवस को बैठक का आयोजन किया जाएगा। प्रभारी चिकित्साधिकारी बैठक की तारीख में परिवर्तन की सूचना समर्त प्रतिभागियों एवं जनपद स्तरीय अधिकारियों को समय से उपलब्ध कराएंगे। बैठक का समय प्रातः 11 बजे से 2 बजे तक रखा जाना चाहिए। यह भी सुनिश्चित किया जाना चाहिए आशाओं की बैठक समय से पूर्ण कर ली जाये ताकि उनके आवागमन में कठिनाई ना हो। बैठक इस प्रकार प्लान की जाय कि प्रत्येक बैठक में अरबन हेल्थ कोऑर्डिनेटर/डी०सी०ए०ए० /सिटी कम्युनिटी प्रोसेस मैनेजर/डी०ई०ओ० कम एकाउन्टेंट उपस्थित रहे।

शहरी आशाओं की अन्य सामूहिक गतिविधियां इस प्रकार से नियोजित की जानी चाहिए जिससे शहरी आशा मासिक बैठक में लक्षित आशाओं का शत प्रतिशत प्रतिभाग किया जाना सुनिश्चित किया जा सके। उस दिन कोई और गतिविधि न रखी जाये जिसमें आशाओं के प्रतिभाग की आवश्यकता हो। यदि अपरिहार्य कारण से किसी शहरी आशा द्वारा बैठक में प्रतिभाग नहीं किया जाता है, तो ए.एन.एम. संबंधित आशा को बैठक की कार्यवाही से अवश्य अवगत



कराये। इस स्थिति में आशा को मासिक बैठक हेतु अनुमोदित प्रतिपूर्ति राशि (रु0 150/-) देय नहीं होगी।

- **बैठक का एजेण्डा—** प्रत्येक माह मासिक बैठक हेतु प्रभारी चिकित्साधिकारी के निर्देशन में एक एजेण्डा तैयार किया जायेगा, जिसमें निम्न बिन्दु को सम्मिलित किया जाय।

क्र.सं.	विषय-वस्तु
1	पंजीकरण एवं स्वागत
2	आशा के कार्यों में आने वाली समस्याओं पर चर्चा व उसका निराकरण
3	अरबन हेल्थ इन्डेक्स रजिस्टर (यू.एच.आई.आर.)/आशा पेमेंट वाउचर/संबंधित प्रारूपों का अवलोकन एवं चर्चा
4	सम्बन्धित माह में आयोजित होने वाले अभियानों, विशेष दिवसों जैसे—विश्व स्तनपान दिवस, मातृ स्वास्थ्य दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व एड्स दिवस आदि पर आशाओं की क्षमता वर्धन, राज्य एवं जनपद स्तर से प्राप्त नवीन दिशा—निर्देशों पर चर्चा।
5	आगामी माह की कार्य योजना पर चर्चा
6	शहरी आशा प्रतिपूर्ति राशि एवं आशा द्वारा किये जा रहे कार्यों के आधार पर अच्छा कार्य करने वाली आशाओं को प्रोत्साहित करना
7	आशा मासिक बैठक के दौरान गत माह आशाओं द्वारा जमा किये गये वाउचरों के सापेक्ष आशाओं के खातों में स्थानान्तरित की गयी धनराशि के संबंध में आशाओं को अवश्य अवगत कराना चाहिए। यदि किसी आशा द्वारा जमा किये गये वाउचर एवं स्थानान्तरित की गयी धनराशि में अन्तर है तो उसका कारण अभ्युक्ति कॉलम में अंकित किया जाना चाहिए

बैठक के प्रारम्भ में समस्त प्रतिभागियों का पंजीकरण अवश्य किया जाना चाहिए। मासिक बैठक के लिये अलग रजिस्टर बनाया जाना चाहिये। आशा के अतिरिक्त अन्य प्रतिभागियों की उपस्थिति दूसरे पेज में अंकित किया जाना चाहिए। रजिस्टर का प्रारूप निम्नवत होगा—

बैठक की तिथि..... स्थान.....

क्र.सं.	शहरी आशा का नाम	कार्यक्षेत्र	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					
क्र.सं.	प्रतिभागी का नाम	पद	मोबाइल नं०	हस्ताक्षर	अभ्युक्ति
1.					

7- FMR U.3.1.3 Miscellaneous ASHA Costs

FMR Code U.3.1.3.1 other Non monetary incentive cost- भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2019–20 में अन्तर्गत शहरी आशा यूनीफार्म हेतु रु0 450/- प्रति आशा की दर से अनुमोदित किया गया है। इस धनराशि का व्यय आशा द्वारा किया जायेगा, जिसके पश्चात उसके द्वारा प्रस्तुत बीजक (बिल) के अनुसार अधिकतम रु0 450/- का भुगतान PFMS के माध्यम से आशा के खाते में किया जायेगा।

- आशाओं को यूनिफार्म के रूप में एक साड़ी दिये जाने हेतु धनराशि प्रदान की जा रही है। यह साड़ी क्रीम रंग की प्लेन होगी एवं उसमें चॉकलेट रंग का बॉर्डर होगा।
- जिन आशाओं द्वारा सामान्यतः साड़ी के स्थान पर सलवार-कुर्ता पहना जाता है, उनके द्वारा साड़ी के स्थान पर क्रीम रंग का सलवार-कुर्ता एवं चॉकलेट दुपट्टा खरीदा जा सकता है।



- प्रत्येक आशा उपरोक्त रंग के अनुसार साड़ी अथवा सलवार—कुर्ता एवं दुपट्टा स्वयं खरीदेगी।
 - आशाओं द्वारा यूनिफार्म खरीदने के पश्चात सत्यापन ए.एन.एम. द्वारा किया जायेगा।
 - अनुश्रवण एवं मूल्यांकन के उद्देश्य से CCPM/ DEO cum Accountant/DCAA द्वारा प्रतिमाह होने वाली आशा बैठकों में प्रतिभाग कर आशाओं द्वारा यूनिफार्म हेतु साड़ियों अथवा सलवार—कुर्ता एवं दुपट्टा का क्रय व उपयोग को सुनिश्चित किये जाने हेतु जिम्मेदारी दी गयी है।
 - आशाओं की यूनिफार्म हेतु धनराशि लक्षित आशाओं के आधार पर अवमुक्त की जा रही है। वर्तमान में कार्यरत आशाओं को ही यूनिफार्म हेतु धनराशि प्रदान की जानी है, शेष धनराशि DHS में सुरक्षित रखी जायेगी तथा नवीन शहरी आशाओं के चयन के पश्चात उपरोक्त दिशा—निर्देशों के अनुसार धनराशि आशाओं को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा। एक वित्तीय वर्ष में एक आशा को 01 यूनिफार्म हेतु ही धनराशि उपलब्ध करायी जानी है।
- 8. आशा डाटाबेस—** ग्रामीण क्षेत्र के समान शहरी क्षेत्रों में कार्य करने वाली आशाओं का डाटाबेस जनपद स्तर पर तैयार किया जाना है। उक्त डाटाबेस में आशाओं के सम्बन्ध में विभिन्न जानकारी जैसे कार्यक्षेत्र आच्छादित आवादी, शैक्षिक योग्यता, एकाउण्ट नं०, आधार कार्ड नं०, मोबाइल नं०, प्रशिक्षण की स्थिति, आदि अंकित किये जाएंगे। उक्त डाटाबेस जनपद स्तर पर डी.सी.ए.ए. द्वारा अधुनान्त किया जाएगा। डाटाबेस हेतु एकसेल शीट एवं दिशा—निर्देश शहरी स्वास्थ्य अनुभाग/कम्युनिटी प्रोसेस अनुभाग, राज्य कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई द्वारा जनपदों को पृथक से उपलब्ध कराया जा रहा है (संलग्नक—6)।

9. FMR U.12 Printing Activity

FMR Code U.12.1 Printing activity- राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के अभिलेखीकरण हेतु शहरी आशाओं को शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका एवं आशा वाउचर उपलब्ध कराया जाना है।

- शहरी स्वास्थ्य सूचकांक पंजिका के मुद्रण हेतु एफ.एम.आर. कोड संख्या FMR Code U.12.1 के अन्तर्गत ₹० 250/- प्रति आशा की दर से धनराशि आवंटित की जा रही है। रजिस्टर का मुद्रण हेतु निम्न स्पेसिफिकेशन का प्रयोग किया जाना है—

क्र.सं.	विवरण	साइज	जी.एस.एम.	रंग	पृष्ठ
1	कवर पृष्ठ	28 से.मी. X 21 से.मी.	250 जी.एस.एम. आर्ट कार्ड	4 रंगों में	2
2	रजिस्टर के अन्दर के पृष्ठ—2 स्टेप्लड	28 से.मी. X 21 से.मी.	80 जी.एस.एम. मेपलिथो	1 रंग में	कम से कम 264 पृष्ठ

उक्त पंजिका के द्वारा न केवल आशा को अपने क्षेत्र में किये जाने वाले स्वास्थ्य कार्यक्रमों के सम्बन्ध में सूचनाएं एकत्रित करने में सहायता मिलेगी वरन् आशाओं की प्रतिपूर्ति राशि हेतु सत्यापन में भी सहायता मिलेगी। वित्तीय नियमों एवं ऑपरेशनल गाइडलाइन फॉर फाइनेंशियल मैनेजमेंट के नियमों को ध्यान में रखते हुए रजिस्टरों का मुद्रण एवं वितरण सुनिश्चित किया जाय।

- आशा प्रतिपूर्ति राशि हेतु आशा वाउचर हेतु दिशा—निर्देश — आशाओं के भुगतान हेतु वाउचर उपलब्ध कराने एवं रख—रखाव हेतु दिशा—निर्देश निम्नवत है—
 - आशाओं द्वारा किये गये कार्यों के लिए प्रदान की जाने वाली प्रतिपूर्ति राशि के भुगतान हेतु वाउचर की बुकलेट छपवाकर प्रत्येक आशा को वितरित की जानी हैं। वाउचर का प्रारूप संलग्न किया जा रहा है (संलग्नक—1 क और संलग्नक—1 ख)



- प्रत्येक बुकलेट में वाउचर्स के दो प्रतियों (डुप्लीकेट कॉपी के 15 सेट अर्थात् 30 पन्ने) की बुकलेट तैयार की जानी है भारत सरकार द्वारा अनुमोदित राज्य कार्ययोजना वर्ष 2019–20 के FMR Code U.12.1 के अन्तर्गत इस हेतु अधिकतम रु0 25/- प्रति बुकलेट प्रति आशा के आधार पर छपवाने हेतु धनराशि आवंटित की जा रही है। बुकलेट का मानक निम्नवत् होंगे—

क्र०सं०	उपयोग	जी०एस०एम०	लम्बाई X चौड़ाई
1	एन०य०एच०एम० फ्लैक्सीपूल मद की वाउचर बुकलेट	57	लम्बाई 26 से.मी. चौड़ाई 21 से.मी.

- बुकलेट के प्रति वाउचर की दोनों प्रतियां 2 रंगों में छपवाई जाय। प्रथम पन्ना सफेद रंग का दूसरा पन्ना गुलाबी रंग का हो सकता है।
- वर्तमान वित्तीय वर्ष के वाउचर शीघ्र अतिशीघ्र छपवाकर भुगतान हेतु प्रयोग में लायें जायें।
- आशाओं को प्रतिपूर्ति राशि की पूर्ण जानकारी हेतु जनपद स्तर पर आशा मास्टर पेमेन्ट रजिस्टर का रख-रखाव अनिवार्य है।

उपरोक्त गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि के उपयोग हेतु निम्न बिन्दुओं का विशेष ध्यान दिया जाय—

1. विभिन्न गतिविधियों हेतु स्वीकृत धनराशि का भुगतान पी.एफ.एम.एस. पोर्टल द्वारा किया जाय। किसी भी दशा में किसी भी कर्मचारी को या सेवा प्रदाता को नगद भुगतान न किया जाय। नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला मुख्यालय पर भुगतान किये गये समस्त बिल वाउचर सुरक्षित रखे जाय, जिससे कि ऑडिट या अन्य जाँच के समय प्रेषित किया जा सके।
2. ऑपरेशनल गाइडलाइन फार फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट के नियमों का अनुपालन किया जाये।
3. धनराशि का आबंटन मात्र आपको व्यय करने के लिये प्राधिकृत नहीं करता, अपितु वित्तीय नियमों, शासनादेशों एवं कार्यकारी समिति द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए, सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के उपरान्त ही व्यय नियमानुसार किया जायेगा।
4. उपर्युक्त धनराशि के उपयोग में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए जनपद के मुख्य चिकित्साधिकारी, नोडल अधिकारी, एन.य०एच.एम. एवं कार्यक्रम से संबंधित अधिकारी/कर्मचारी उत्तरदायी होंगे।

उपरोक्तानुसार धनराशि उपयोगित करने के पश्चात भौतिक एवं वित्तीय आख्या एस०पी०एम०य०२ के एन.य०एच.एम. अनुभाग, अरबन हेल्थ सेल, परिवार कल्याण महानिदेशालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संयुक्त निदेशक (नगरीय)
परिवार कल्याण महानिदेशालय
उ०प्र०, लखनऊ

(दू० चौल हुसू)

नगरीय सेवा
परिवार कल्याण, उ०प्र०
लखनऊ



शहरी आशा को मिलने वाली प्रोत्साहन राशि के भुगतान हेतु प्रपत्र-1

नगरीय प्राची स्वाठा केन्द्र का नाम

आशा आई0टी0-10

वैक का नाम

खाता संख्या

रस्तम का नाम

IFC कोड

माह ... जमा करने की तिथि

क्र0स0	कार्यक्रम	गतिविधियाँ	प्रतिपूर्ति राशि (रुपये में)	माह में कुल गया कार्य (संख्या अनुमानीय राशि (रुपये में) लिखें)	माह में कुल पिछले माह में शेष भुगतान का राशि (5+6)	भुगतान का विवरण
1	2	3	4	5	6	7
1	शहरी स्वास्थ्य प्राप्ति विवर संलग्न में लगाविधियों को प्रोत्साहन करने एवं उपचारित रहने	200	200	8	9	
2	महिला आरोग्य समिति की बैठक में प्रतिमान करने	150	150			
3	शहरी आशाओं को सोशल सोसी/ पीएव सोसी पर मारिंसिक बैठक में भाग लेने हेतु आवाज़-व्यय	150	150			
4	दार्त सर्वे को अद्यतन करना	300	300			
5	शहरी स्वास्थ्य प्रोत्साहन कार्यक्रम का अद्यतन करने एवं यूट्यूब परीक्षण हेतु सहायता करने पर	300	300			
6	टीकाकरण हेतु बच्चों का ड्यूटीस्ट बनाना एवं मारिंसिक आवार पर अद्यतन करने पर	300	300			
7	ANC लगाविधियों को सुधीरी बनाना एवं मारिंसिक आवार पर अद्यतन करने पर	300	300			
8	यान्य दग्धविधियों की सुधीरी बनाना एवं मारिंसिक आवार पर अद्यतन करने पर	300	300			
9	प्रसव फूंफ देखभाल हेतु	200	200			
10	स्वास्थ्य प्रसव में सहायता	200	200			
11	अंती जोखिम गमवानी महिला का उच्चतररीय करन्द पर परोक्षण/नर्सी और स्वास्थ्यगत प्रसव करने के साथ MCTS/ RCH पार्टनर Entry करने पर (प्रति करने)	300	300			
12	महिला नसवन्दी (मात्र 18 सेर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	200	200			
13	प्रूलय नसवन्दी (मात्र 18 सेर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	300	300			
14	महिला नसवन्दी मात्र 57 जिलों में	400	400			
15	प्रूलय नसवन्दी मात्र 57 जिलों में	400	400			
16	प्रसव घट्यात महिला नसवन्दी मात्र 57 जिलों में	300	300			
17	प्रसव घट्यात महिला नसवन्दी (मात्र 18 सेर मिशन परिवार विकास जनपदों में)	1000	1000			
18	परिवार कल्याण दो बच्चों के परिवार स्थानीय गमविनियोक्त संघरण हेतु प्रीति करने पर	500	500			
19	शादी के परिवार 2 साल तक प्रथम बच्चे हेतु अन्तराल रखने हेतु प्रीति करने पर	500	500			
20	प्रूलय से दृष्टिय बच्चों के मध्य 3 साल का अन्तराल रखने हेतु प्रीति करने पर	150	150			
21	लगाविधि को PAIUCD लगाविधि हेतु स्वास्थ्य इकाई पर तो जाने/रखण्या करने पर	100	100			
22	लगाविधि को नई पहल किट वितरण करने के सबवास में प्रति विट मात्र 57 जिलों में	100	100			
23	लगाविधि पर तो जाने एवं त्रैमासिक गमविनियोक्त इनजेक्शन (अंतरा) लगाविधि हेतु प्रीति लगाविधि रु 100 मात्र 57 जिलों में	100	100			
24	client को PAIUCD लगाविधि पर तो जाने/ सहयोग करने पर	150	150			
25	महिला को विकिसालत तक तो जायक गमविनियोक्त वित्त से गमवात संघरणों के उपरान्त तीन वार कौलोइय करना (प्रति करने)	225	225			
26	गृह अवासित नवजात शिशु टेक्स्टुल (HBNC) के अन्तर्गत मॉड्यूल 6-7 व CCSP में प्रविष्टित आवार पर	250	250			
27	गमवानी को स्वास्थ्य इकाई पर तो जाने एवं त्रैमासिक गमविनियोक्त इनजेक्शन (M.A.A)	100	100			
28	0-1 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षिकाण हेतु (प्रति बच्चा)	100	100			
29	1-2 वर्ष के बच्चों का पूर्ण प्रतिरक्षिकाण हेतु (प्रति बच्चा)	50	50			
30	5-6 वर्ष की अगु तक (लैपोटी यूट्यू-2) प्रतिरक्षण हेतु प्रति बच्चा	150	150			
31	टीकाकरण के दिए बच्चों का प्रतिरक्षण करने हेतु (प्रति बच्चा)	50	50			
32	गमवानी महिला का परिवर्तन करने के पश्चात दी जाने वाली धनराशि प्रति के स	50	50			
33	PMMMVY	गमवानी महिला का परिवर्तन करने के पश्चात दी जाने वाली धनराशि प्रति के स	50	50		
34	HPD	हेत्य प्रमाणन विवर	200	200		
35	एए दी वैक का प्रतिवेदन करने पर आशा हेतु	75	75			
36	आरोक्टोस0को	किशोर स्वास्थ्य विवर हेतु AHD (प्रति विवर)	200	200		

आशा के हस्ताक्षर

हस्ताक्षर
कैमोडी कम एकाउटेंट / ई0सी01070

समन्वित ५०५००५००० द्वारा संचालित

हस्ताक्षर
प्रमारी विकेन्स आधिकारी

राष्ट्री शहरी स्वास्थ्य मिशन

విషయాల పరీక్షల తేదీ - 2019-20

आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले ब्लॉकस्टरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र

राष्ट्रीय शाही स्वास्थ्य मिशन

वर्ष- 2019-20

शाही आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले ब्लॉक स्तरीय रिपोर्टिंग प्रपत्र

नगरीय प्रा० स्वा० के:

माह -	59	58	57	56	55	54	53	52	51	50	49	48	47	46	45	44	43	42	41	40	39	38	37	36	35	34	3	2	1			
माह की प्रारंभिक																																
आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम	आशा का नाम					
क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०	क्रमसं०				
कुल रोग	मरेतिया	PB	MB	NIDCCP	फ्रेटिया	इम्फेटिक फाइलरियासिस	HPD	PMMVY	ए०१०७०	ए०१०८०	ए०१०९०	ए०१०१०	ए०१०२०	ए०१०३०	ए०१०४०	ए०१०५०	ए०१०६०	ए०१०७०	ए०१०८०	ए०१०९०	ए०१०१०	ए०१०२०	ए०१०३०	ए०१०४०	ए०१०५०	ए०१०६०	ए०१०७०	ए०१०८०	ए०१०९०	ए०१०१०	ए०१०२०	ए०१०३०
माह की प्रारंभिक	15	75	250	400	250	600	100	25	200	200	300	200	50	75	75	200	150	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300
1	2	3	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59				

राष्ट्रीय शहरी रक्षण मिशन

2019-20 -
t

शहरी आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले भगतान हेतु रिपोर्टिंग प्रपत्र

ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶାହୀ ସକାଳ୍ୟ ମିଶନ

విష్ణు - 2019-20

शहरी आशाओं को विभिन्न मदों में किये जाने वाले भगवान् हेतु रिपोर्टिंग प्रयत्न

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मेशन
वर्ष – 2019–20

शहरी आशाओं को विभिन्न मर्दों में किये जाने वाले भुगतान का जनपद स्तरीय मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र

गार्वीय रूपास्थ्य मिशन

日期 - 2019-20

आशाओं को विभिन्न मर्दों में किये जाने वाले भूगतान का जनपद स्तरीय मासिक रिपोर्टिंग प्रपत्र